



प्रेस नोट- थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक-24.10.2026

थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक खुटार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम व अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी के क्रम में थाना खुटार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07.08.26 को थाना सिंधौली पर मु0अ0सं0- 370/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए चोरी आदि करने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक खुटार द्वारा की जा रही है।

आज दिनांक 24.10.26 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त वेदप्रकाश उर्फ वेदू पुत्र शिवराम, उम्र 29 वर्ष, नि0 ग्राम बिलसंडी बुजुर्ग, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर को अभियुक्त के मसकन से समय 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

वेदप्रकाश उर्फ वेदू पुत्र शिवराम, उम्र 29 वर्ष, नि0 ग्राम बिलसंडी बुजुर्ग, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 370/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 24.10.2026 समय 06.10 बजे, अभियुक्त के मसकन से।

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 131/26 धारा 303(2)/317(2)/61(2) बीएनएस, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर ।

मु0अ0सं0 856/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि0, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर ।

मु0अ0सं0 825/23 धारा 304/328/34/379 भादवि व 3(2)(v) sc/st act, थाना पुवायां, जनपद शाहजहाँपुर ।

मु0अ0सं0 370/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्र0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार त्यागी

उ0नि0 श्री पंकज कुमार

का0 दीपक गिरी

का0 भूपेन्द्र सिंह

का0 सुमित तोमर

का0 सुखबीर श्योराण